न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 325/17 (RCMS No.2017/00346) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गिर्राज पुत्र हरमुख
2. रामधन पुत्र हरमुख
3. प्यासिंह पुत्र परसादी
4. जीतराम पुत्र परसादी
5. रामपति पुत्री परसादी

जाति गुर्जर निवासी जाखोला खुर्द तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1. मीठ्या
2. लल्लू
3. बंशी
4. हंसा

पिसरान पांच्या जाति गुर्जर निवासी जाखोला खुर्द तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वामनवास दिनांक 02.08.2011

उपस्थितिः—

1. श्री इंसाफ अली वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

नि र्ण य **दिनांकः—14.08.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वामनवास के निर्णय दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण सं0 31 ग्राम जाखोलास खुर्द मृतक रंगा वल्द मनफूल के स्थान पर गिर्राज पि0 मु0 रंगा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.06.87 को तस्दीक किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध मीठया लाल वगैरहा ने वर्ष 2008 में उप जिला कलक्टर वामनवास के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि मनफूल के पॉच पुत्र हरमुख, रंगा, नानगा, पांच्या व हरनारायण थे जिनमें से रंगा, नानगा व हरनारायण अविवाहित फौत हो गये। पांच्या व हरमुख भी फौत हो चुके है। हरमुख के 3 लड़के परसादी, गिर्राज व रामधन है। इनमें से परसादी फौत हो चुका है। उसके दो लड़के

प्यार सिंह व जीवराम हैं तथा रामपति वेवा है। उक्त आराजी को गिर्राज ने बिना किसी आधार के रंगा का गोदपुत्र बताते हुऐ सरपंच द्वारा नामान्तरकरण तथ्यों के विपरीत दर्ज करा लिया। दिनांक 11.06.87 को ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग नही हुई और न ही उक्त नामा0 ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हुआ। जबकि सही तथ्य यह है कि रंगा के दो भाई पांच्या व हरमुख ही रंगा के वारिस हैं और रंगा के हिस्से की आराजी के अपीलान्ट 1/2 हिस्से तथा रैस्पो0 1/2 हिस्से के हकदार है। उक्त नामा0 की मीठया वगैरहा को जानकारी नही थी। मीठया वगैरहा अपीलान्ट को दिनांक 23.02.08 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज किया जावे। गिर्राज ने अधीनस्थ न्यायालय में कोस आब्जेक्शन पेश कर कथन किया कि मृतक रंगा की पगड़ी समाज की रीति रिवाज के अनुसार गिर्राज के बंधी थी और गिर्राज ने ही क्रिया कर्म व नुक्ता किया था। पटवारी व सरपंच ने बाद जांच गिर्राज के नाम नामा0 दर्ज किया था। दिनांक 11.06.87 को खुली पंचायत में नामा0 भरा गया था जिसकी मीठया वगैरहा को जानकारी थी। मीठया वगैरहा ने 21 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की है, जो मियाद बाहर है। मीठया ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद के संबंध में न तो प्रार्थना पत्र पेश किया है और न ही शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2009 में यह माना कि गिर्राज के गोद जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है तथा नामा0 ग्राम पंचायत की बैठक में तस्दीक हुआ हो, ऐसा भी कोई तथ्य अंकित नही है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार वामनवास को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड कर दिया। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार ने प्रकरण में सुनवाई की जिसमें गिर्राज वगैरहा की ओर से कोई उपस्थित नही आया। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2011 में यह माना कि गिर्राज ने अपने आपको रंगा का गोद पुत्र साबित नही किया है, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया जिससे रंगा का वारिस गिर्राज बतौर गोदपुत्र होना प्रकट होता हो। अतः तहसीलदार ने मीठया वगैरहा का 1/2 हिस्सा व गिर्राज वगैरहा का 1/2 हिस्सा मानते हुऐ राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध यहअपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया है कि रंगा ने अपने जीवन काल में गिर्राज पुत्र हरमुख को गोद ले लिया था क्योंकि उसके संतान नही थी। तभी से गिर्राज ही रंगा के साथ रहा है। उसकी सेवा की है। रंगा के 1/2 हिस्से की आराजी काश्त करता रहा है। रंगा की मृत्यु के बाद गिर्राज ने रंगा का क्रिया कर्म किया था, उसकी अस्थियों को विसर्जन हेतु गंगाजी लेकर गया। पगड़ी गिर्राज के बंधी थी। अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। रंगा की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 31 गिर्राज के नाम स्वीकार हुआ। उक्त आराजी पर आज भी गिर्राज का कब्जा काश्त है। उस समय किसी को कोई आपत्ती नही थी। रैस्पो0 को रंगा की आराजी से कोई लेना देना नही है। रंगा के औलाद नही थी इस कारण रंगा ने अपने जीवन काल में ही गिर्राज को गोद ले लिया था। तभी से रंगा की आराजी पर गिर्राज का अधिकार है। उक्त नामा0 के 21 वर्ष बाद रैस्पो0 ने अपील पेश की थी जिसका दिनांक 15.09.09 को निर्णय होकर तहसीलदार को रिमाण्ड हुई थी। तहसीलदार ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया और अपीलान्ट को बिना सुने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ही एक पक्षीय सुनकर नामा0 खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया और एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। मृतक रंगा का एक मात्र वारिस गिर्राज है। रंगा के जीवन काल से आज तक रंगा की 1/2 हिस्से की आराजी पर गिर्राज का कब्जा काश्त है। गिर्राज ही रंगा का वैध गोद पुत्र है। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार का निर्णय निरस्त किया जावे तथा नामा0 सं0 31 बहाल रखा जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 की बहस सुनी गई। रैस्पो0 का तर्क है कि ग्राम पंचायत ने रंगा पुत्र मनफूल की आराजी को गलत तरीके से गिर्राज को गोद पुत्र मानकर गिर्राज के नाम दर्ज कर दी थी। जबकि गिर्राज का गोद लिया जाना कहीं भी साबित नही है। गोद पुत्र होने के लिये गोदनामा होना चाहिये। रीति रिवाज से पगड़ी बॉधी जानी चाहिये। गोद दिया जाना व गोद लिया जाना गोद नामा में अंकित होता है। परन्तु बिना किसी गोदनामा के बिना किसी आधार के संरपंच ग्राम पंचायत ने गिर्राज को गोदपुत्र मानकर उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर ही प्रकरण तहसीलदार को निर्णय के लिये प्रतिप्रेषित किया था। तहसीलदार ने विस्तृत जॉच कर ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रंगा पुत्र मनफूल के फौत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं0 31 ग्राम जाखोलास खुर्द गिर्राज पि0 मु0 रंगा के नाम दिनांक 11.06.87 को स्वीकार किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध मीठया लाल वगैरहा ने वर्ष 2008 में उप जिला कलक्टर वामनवास के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 08.09.2009 को स्वीकार कर नामा0 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार वामनवास को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड कर दिया। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार ने प्रकरण में सुनवाई की जिसमें गिर्राज वगैरहा की ओर से कोई उपस्थित नही आया। तहसीलदार ने यह माना कि गिर्राज ने अपने आपको रंगा का गोद पुत्र साबित नही किया है, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया जिससे रंगा का वारिस गिर्राज बतौर गोदपुत्र होना प्रकट होता हो। अतः तहसीलदार ने मीठया वगैरहा का 1/2 हिस्सा व गिर्राज वगैरहा का 1/2 हिस्सा मानते हुऐ राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिनांक 02.08.2011 को पारित किये। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह कहीं भी साबित नही होता है कि गिर्राज को रंगा ने गोद लिया था। अपीलान्ट अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कर पाये हैं। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्ट को गोदपुत्र नही माना जा सकता है। तहसीलदार ने गोदपुत्र एवं वारिसान के संबंध में पूर्ण जॉच कर ही निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official